(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 30/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 07.06.2024

निर्णय दिनांक : 23.07.2024

1. जयमल पुत्र ठण्डू जाति गुर्जर निवासी ग्राम रतनपुरा, तहसील नारायणपुर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड राज. – प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।
2. सुल्तान पुत्र खुबला
3. दाताराम पुत्र खुबला
4. हेमराज पुत्र खुबला
5. सुरेश पुत्र खुबला
6. जगदीश पुत्र खुबला

   जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम रतनपुरा तहसील नारायणपुर जिला कोटपूतली–बहरोड राज.
7. तहसीलदार बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड़।

– अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर के समक्ष उनवानी वाद सुलतान वगै0 बनाम जयमल वगै0 मुकदमा संख्या 107/2019 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुरेन्द्र चौधरी अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री कन्हैयालाल गुर्जर अधिवक्ता, श्री मुकेश गुर्जर अधिवक्ता – अप्रार्थीगण 02 लगायत 06 की ओर से

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर के समक्ष उनवानी प्रकरण सुलतान वगै0 बनाम जयमल वगै0 मुकदमा संख्या 107/2019 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। वकील अप्रार्थीगण ने सीधी बहस करना चाहा। अतः बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई।
3. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण/वादीगण भूमाफिया है व संख्या बल, बहुबल एवं धनबलयुक्त है। अप्रार्थीगण ने गांव में ऐलानिया कहा है कि हमारी एसडीएम साहब नारायणपुर से बात हो गयी है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर में विचाराधीन दावे का फैसला हमारे पक्ष में करवायेंगे। उनकी ऐलानियां धमकी से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को न्याय नही मिलेगा। अप्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेने के कारण प्रार्थी को न्याय मिलने की उम्मीद नही है। अन्त में प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर

लगातार

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

में विचाराधीन वाद बउनवान सुलतान वगै0 बनाम जयमल वगै0 मुकदमा संख्या 107/2019 को अन्यत्र किसी सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने का आदेश फरमावें।

4. वकील अप्रार्थीगण नम्बर 02 ल0 06 ने अपनी बहस में प्रार्थीगण अधिवक्ता के उक्त तर्को का खण्डन करते हुये जाहिर किया की प्रार्थी मंगढनत एवं झूठे तथ्य पेश कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर में विचाराधीन प्रकरण जो काफी पुराना केस है, को लम्बित करने के उद्देश्य से पेश किया गया है। प्रकरण तहत के न्यायालय में बयनामा दिनांक 25.05.1993 को लेकर दोनो पक्षो के मध्य विवाद का वाद विचाराधीन है जो काफी पुराना होने से प्रकरण को निस्तारण हेतु प्रभावी पैरवी की जा रही है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण को देरी करने से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा करें।

5. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर ने अपने पत्रांक कोर्ट/2024/157 दिनांक 04.07.2024 द्वारा बिन्दुवार टिप्पणी भिजवाकर जाहिर किया है कि पीठासीन अधिकारी न्याय के सिद्धान्त पर कार्य करते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्य झूठे, निराधार एवं मनगढंत है तथा तहत न्यायालय ने यह भी जाहिर किया है कि प्रकरण न्यायालय आरएए अलवर के द्वारा पत्रावली रिमाण्ड होने तथा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से खारिज होने पर सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ है, जो काफी पुराना है। अन्त में उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर ने निवेदन किया कि यदि उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थी द्वारा गलत एवं मनगढंत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़